संख्या-127/2023/1623/22-2-2022-17(95)/2011

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमाशंकर उर्फ भोले पुत्र श्री शिवप्रसाद, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रमाशंकर उर्फ भोले पुत्र श्री शिवप्रसाद, सराय जानमती मजरे खटवारा, थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12/13.04.1996 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डीजल डालकर तमंचा से गोली मारकर व घर में आग लगाकर 06 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238,104/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 148, 436, 404, 449, 397, 412 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0, द्वितीय, प्रतापगढ के आदेश दिनांक 07.10.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 16.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2022 तक 25 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा बंदी की उम्र 49 वर्ष, कारित अपराध की प्रकृति (06 व्यक्तियों की हत्या) तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रमाशंकर उर्फ भोले (बन्दी संख्या-8512/02) पुत्र श्री शिवप्रसाद, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-127/2023/1623(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-प्रतापगढ़।

2- श्री सर्वेश सिंह बघेल, ए0ओ0आर, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को रिट पिटिशन (क्रि0)याचिका सं0-276/2021 रमाशंकर पाण्डेय उर्फ भोले बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के सन्दर्भ में।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटिशन (क्रि0)याचिका सं0-276/2021 रमाशंकर पाण्डेय उर्फ भोले बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के सन्दर्भ में।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।